# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 37 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

रेस्पोडेंटगण

**बनाम** 1.चन्दनसिंह पुत्र सुजानसिंह
2.अचलसिंह पुत्र सुजानसिंह
3.भगवान सिंह पुत्र सुजानसिंह का. मुकामः–
3 / 1रूपकंवर पत्नी भगवानसिंह
3 / 2स्वरूपसिंह पुत्र भगवानसिंह
3 / 3कूंपसिंह पुत्र भगवानसिंह
4.गोविन्दसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दवाड़ा तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 29 / 2013 बअनवान सुजानसिंह कायम मुकाम चन्दनसिंह वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश हुई।**

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

## निर्णय

दिनांकः– 22.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम दवाड़ा के खसरा नम्बर 371 रकबा 142.10 बीघा में से रकबा 15.13 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया है जबकि यह भूमि सेटलमेंट में भी सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। राजकीय अभिभाषक की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने व प्रार्थी कर अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दावे के पद संख्या 09 में इस्तदुआ में खसरा संख्या 371 का उल्लेख नहीं जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी इस्तदुआ और आधार के खातेदारी अधिकार प्रदान कर भारी कानूनी भूल की है। पत्रावली पर मौजूद कोई भी राजस्व अभिलेख प्रदर्शित नहीं कराया है और न ही उन पर प्रदर्श क्रमांक मय दिनांक ही अंकित है। समरी बंदोबस्त में सहखातेदार कंवराजसिंह पुत्र बींजरासिंह को या उनके वारिसान को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है, न ही वर्तमान सेटलमेंट में उक्त दोनों खेतों के खातेदारों को

राजस्व अपील प्राधिकारी
– बाड़मेर



Scanned by CamScanner

ही पक्षकार बनाया गया है। आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण भी दावा डिक्री योग्य नहीं ठहरता है। दावें में खसरा संख्या 371 रकबा 142.10 बीघा बाद में जानबूझकर अलग स्याई से अंकित कर जोड़ा गया है। वादी पक्ष के गवाह नेपालसिंह (वादी संख्या 02 का पुत्र)(PW-2) के बयानों में भी वादग्रस्त खसरा संख्या 371 का कोई उल्लेख नहीं है। इसी तरह गवाह सवाईराम के बयानों में भी खसरा संख्या 371 का कोई हवाला नहीं है। वादी संख्या 02 अचलसिंह अपने बयानों में खसरा संख्या 371 का कोई जिक्र नहीं करता है। इसका तात्पर्य है कि दावा खसरा संख्या 371 के संबंध में नहीं किया गया है। गवाह अचलसिंह व नेपालसिंह के कथन कि सरकारी खसरा होने के कारण हमारा अतिक्रमण दर्ज हुआ और जुर्माना भी भरा है जो रिकॉर्ड पर नहीं है। खसरा परिवर्तनशील संबंधी कोई अभिलेख रिकॉर्ड पर नहीं है जो वादीगण का वादग्रस्त खसरा संख्या 371 जिस पर वादीगण का खातेदारी घोषित की गई है, पर प्रतिकूल कब्जा सिद्ध करता हो। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में रेस्पोडेंट का वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन, अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव एवं एडवर्स पजेशन के बेबुनियादी कथनों पर आधारित होने से खारिज किये जाने योग्य ठहरता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 29/2013 बअनवान सुजानसिंह कायम मुकाम चन्दनसिंह वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया जाता है।

22/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर



Scanned by CamScanner